हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

25 पत्रा० आज पेश हुई। प्रार्थी वकील की एकतरफा
बहस सुनी जा चुकी है। बहस के दौरा
प्रार्थी वकील के कथन रहे कि उपरोक्त
अवानी प्रकरण सावित्री बनाम बलबीरी मुकदमा
22/5/25 को बहस में नियत था। उक्त मुकदमे
को अदम हाजिरी, अदम पैरवी में खारिज कर दिया
गया है। उक्त दावा अन्तर्गत धारा 88-89,
188 आरटीए के तहत न्यायालय में पेश
किया गया है। जिसे मेरिट पर सुनकर
निस्तारण किया जाना न्यायहित में आवश्यक
है। अतः प्रा० पत्र अंतर्गत धारा 09R9 स्वीकार
किया जाकर दावा को पुनः उसी स्टेज से
नंबर पर लिया जावे की अनुमति प्रदान करें।

हमने बहस पर मनन किया
एवं फावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन
किया तो पाया गया कि प्रा० पत्र 09R9 को
स्वीकार किया जाकर दावा को पुनः नम्बर पर
लिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रा० पत्र अंतर्गत धारा 09R9 व
151 जा० दी० के तहत स्वीकार किया जाता है
एवं दावा अंतर्गत धारा 88, 89, 188 RTA उनवान
सावित्री बनाम बलबीरी को पुनः उसी स्टेज
से नम्बर पर लिया जाता है। प्रा० पत्र फैसल
शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर दाखिल
दफ्तर हो।